COURT FEE
भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

<u>न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय,रेवेन्यु बोर्ड ऑफ ग्वालियर केम्प उज्जैन म0प्र0</u>

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा/2018/0654 प्र0क0 /16–17 निगरानी

बालमुकंद पिता लक्ष्मीनारायणजी उम्र 75 कुल्मी पाटीदार निवासी रीछालालमुहा तहसील दलोदा जिला मंदसौर............प्रार्थी

बनाम

म.प्र.शासन ....विपक्षी

निगरानी तहत धारा 50 म.प्र.भु.रा.सहिता 1959

बनाराजी आदेश दिनांक 6.10.2017 प्र.क.139/16–17 अपील न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय उज्जैन केम्प मन्दसौर (बालमुकंद विरूद्ध शासन) में पारित आदेश से असन्तुष्ट होकर निगरानी समयावधि मे पेश है:–

अभिभाषक श्री दीपक कुमावत
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 09-01-18
अधीक्षक 09.01.18
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भूरा/18/ 0654

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-18	आवेदक अधिवक्ता श्री दीपक कुमावत द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित आदेश दिनांक 6-10-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक का शासकीय भूमि पर अतिक्रमण प्रमाणित है तथा आवेदक ने अपने आवेदन में स्वयं रास्ते पर रोडी बनाकर अतिक्रमण करना स्वीकार किया है, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और विचारण न्यायालय के आदेश की अपीलीय न्यायालयों द्वारा पुष्टि करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है अत: यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	